हिन्दुस्तान
रांची • मंगलवार • 14 जुलाई 2020

मत्स्य निदेशालय
झारखण्ड, राँची

भारत सरकार के "आत्मनिर्भर भारत अभियान" के तहत् मत्स्य प्रक्षेत्र की नई योजना

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

एतद् द्वारा राज्य के सभी मत्स्य कृषकों एवं मछलीपालन को रोजगार के रुप में अपनाने वालों के लिए भारत सरकार द्वारा "आत्मनिर्भर भारत अभियान" के तहत् नई योजना– प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ की गई है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य मछली उत्पादन एवं उत्पादकता में गुणात्मक अभिवृद्धि, मात्स्यिकी प्रबंधन हेतु नवीनतम तकनीकी सहायता, आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता उपलब्ध कराया जाना है।

लाभुकोन्मुखी योजना में सरकारी सहायता का प्रकार

- भारत सरकार का अंशदान
- राज्य सरकार का अंशदान
- लाभुक का अंशदान**

**इकाई लागत की कुल 40% सहायता

(भारत सरकार एवंराज्य सरकार द्वारा सामान्य को टिके लिए)

** **SC/ST** एवं महिलाओं के लिए विशेष सहायता–इकाई लागत का कुल 60 **%** (भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा)

इस योजना अंतर्गत प्रस्तावित कार्य, विस्तृत विवरणी, इकाई लागत तथा योजना हेतु अन्य आवश्यक माप–दण्डो की विस्तृत विवरणी मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची के वेबसाईट www.jharkhandfisheries.org पर उपलब्ध है अथवा भारत सरकार, मात्स्यिकी, पशुपालन एवं गव्य विकास मंत्रालय के वेबसाईट (www.dof.gov.in) पर PMMSY Guidelines भी उपलब्ध है।

विशेष जानकारी के लिए इच्छुक आवेदक अपने जिला के जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

:मछली पालन को अपनाएँ : रोजगार के नये अवसर पाएँ:

निदेशक मत्स्य
झारखण्ड, राँची

PR 230673 Fish (20-21)_D